

तारीख
हुक्म

शब्द

पत्रावली नकल देकर इन्हें वकील खादी
 उमरिया विभागीय नकल लिखत ।
 इसके अलावा यह वाक्य कानून
 विभाग के नकल लिखत रहे के
 विभागीय के खिलाफ एक तरफ
 कार्यवाही की जा रही है वकील खादी
 के पत्रावली पर बहल सुनी कठोर नकल
 के अलावा जाकर सुने न्यायालय
 सुनना तथा कठोर की फिलाना
 वकील खादी को फिलाना जात होने
 पर अगले पत्रावली की को पत्रावली
 लिखत सुनना देकर इन्हें वकील खादी

B. S. S.
 न्यायालय अधिकारी, गुजरात न्यायालय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलवी आर.ए.एस

प्रकरण संख्या : 210 / 2023

प्रार्थीगण :-

1. विस्धाराम पुत्र गोमाराम
जाति विश्नोई निवासी उदाणियों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. सोनाराम पुत्र गोमाराम
2. अर्जुनराम पुत्र गोमाराम
3. ठाकराराम पुत्र गोमाराम
4. हिरकनराम पुत्र विस्धाराम
5. हुकमाराम पुत्र गोमाराम
6. हरूराम पुत्र मंगलाराम
7. साजनराम पुत्र मंगलाराम
8. लालाराम पुत्र मंगलाराम
9. नारणाराम पुत्र मंगलाराम
10. विजयचंदन पुत्र कासूराम
जाति विश्नोई निवासी उदाणियों की ढाणी तहसील गुडामालानी
11. भाणाराम पुत्र हरिंगाराम जाति विश्नोई निवासी पूनियों बास डावड तह0 गुडामालानी
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

—:: आदेश ::—

दिनांक :- 12.02.2024

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा. भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से विप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री सुखराम विश्नोई की पत्रावली पर बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा उदाणियों की ढाणी पटवार हल्का मौखावा के खेत खसरा नम्बर 1341/11, 1341/3 रकबा कमशः 0.4613, 2.9704 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माटे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख

में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा उदाणियों की ढाणी पटवार हल्का मौखावा के खेत खसरा नम्बर 1341/11, 1341/3 रकबा क्रमशः 0.4613, 2.9704 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक, नगर को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 12.2.24 को खुले न्यायालय सुनाया गया।


(रामजी भाई केलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

वाद / 2024 /

दिनांक :

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

विरधाराम

सोनाराम वगैरा

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु
नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी


राजस्व आवेदन सं.....210 / 2023..

निर्णय दिनांक :- 12.02.2024

--: आदेश :-

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम उदाणियों की ढाणी पटवार हल्का मौखावा के खेत खसरा नम्बर 1341/11, 1341/3 रकबा कमश: 0.4613, 2.9704 हैक्टेयर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक, नगर....को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीश रूपये 0500 / -...प्रार्थीगण अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी

दिनांक : 12-2-24

क्रमांक: वाद / 2024 / 141-146 / 12-2-24
प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुडामालानी
2. थानाधिकारी.....गुडामालानी.
3. भू-अभिलेख निरीक्षक नगर
4. हल्का पटवारी....मौखावा. को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
5. प्रार्थीगण..... विरधाराम पुत्र गोमाराम
6. विप्रार्थीगण..... सोनाराम वगैरा


उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी